International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

सामाजिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्थाओं का अध्ययन

AJAY KUMAR GUPTA

Research Scholar Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences Sehore M.P

DR. DHIRAJ SHINDE

Research Supervisor Department of Education Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences Sehore M.P

सारांश

महिलाओं की ि ाक्षा उन्हें अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को जानने तथा सरकारी योजनाओं को जानने और उनसे परिचित होने के लिए जागरूक करती है। शिक्षा से वे सभी क्षेत्रों–जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि में अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होती हैं। उनके आत्मवि वास, आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता आदि में वृद्धि से उनका सम्पूर्ण विकास होता है जो ि ाक्षा द्वारा ही सम्भव है। ि ाक्षा एक भाक्ति ाली माध्यम है जिसकी मदद से महिलाओं में आत्मवि वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक भाक्ति पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचानकर, उसका विरो ध करने योग्य बन सकती है। ि ाक्षा के साथ जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाएं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से उठा सकती हैं, जो महिलाओं को राश्ट्रीय विकास में भागीदार बनने के लिए बहुत आव यक है। दे ा के ग्रामीण और भाहरी क्षेत्रों में महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण उनमें ि ाक्षा का अभाव होना है।

मुख्यशब्द– सामाजिक स्तर, शिक्षा की व्यवस्था, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मवि वास, आत्मसम्मान

प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं बुद्धि का विकास करके उसे आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने योग्य बनाती है। यह एक ऐसा उपकरण माना जाता है, जिसकी मदद से समाज में परिवर्तन व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण मानव

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

अधिकारों के सार्वभौमिक घोशणा पत्र में ि ाक्षा को प्रत्येक मनुश्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 14–15 में प्रत्येक नागरिक को चाहे वह महिला हो या पुरूश, लिंग–भेद और जाति से ऊपर उठकर समानता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद–4 में राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत ि ाक्षा के सर्वव्यापीकरण को महत्व दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''यदि जनता में जागृति पैदा करनी है, तो महिलाओं में जागृति पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढ़ ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव व भाहर आगे बढ़ ता है एवं सारा दे ा आगे बढ़ता है।''

भारतीय समाज की अनगिनत कुरीतियाँ जै से– विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, मृत्यु भोज, विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय, दहेज–प्रथा, न ाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या, पुत्र को प्राथमिकता आदि स्त्री की समस्याओं को बढ़ाने के साथ–साथ उसके विकास को भी अवरूद्ध करती है। समाज में महिलाओं के विरूद्ध दूषित मनो वृत्ति और संकीर्ण मानसिकता ने भी महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। आज भी कुछ परिवारो ं में लड़कियों के जन्म को अ ुभ माना जाता है। इस प्रकार नारी की उपे क्षा उसके जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है, जिससे उनमें हीन भावना आ जाती है। महिलाओं को सबल बनाने के लिए आवश्यकता है, कि गलत मान्यताओं का विरोध समाज के पुरूश वर्ग द्वारा भी किया जाए ताकि महिलाएं अत्याचारों के विरूद्ध अपनी आवाज उठा सकें और आव यकतानुसार सामाजिक और कानू नी सहायता प्राप्त कर सकें। अि ाक्षित महिलाएं बेबस और मजबूर होकर अपने बच्चों एवं माता–पिता अथवा पति पर निर्भर रहती हैं। वे स्वयं अपने जीवन को बोझ समझने लगती हैं, लेकिन ि ाक्षा उनमें स्वाभिमान की भावना पैदा करती है और आत्मनिर्भर बनाती है जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपना व्यवसाय कर सकती हैं तथा अन्य विभिन्न कार्यों के द्वारा जीविका प्राप्त कर सकती हैं। घर में रहकर बच्चों का पथ–प्रद ान प्रभाव ाली ढंग से कर सकती हैं तथा अपने परिवार की सहायता कुशलता के साथ कर सकती हैं। राज्य सरकारों को इस प्रकार की योजनाएं लागू करनी चाहिए जो कि बालिका ि ाक्षा को प्रोत्साहित तो करे ही साथ ही बालिकाओं के लिए शिक्षा ले ने के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हों सकें तभी वास्तव में विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ ने वाली छात्राओं की संख्या को कम किया जा सकेगा। ि ाक्षा महिलाओं को जागरूक बनाने के साथ–साथ उन्हें आत्मवि वास से भर देती है, जिससे उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान समाज के लिए प्रगति का मार्ग प्र ास्त करता है। स्वामी विवेकानन्द ने स्त्रियों की क्षमता को जानकर उनमें आत्मवि वास,

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

निर्भीकता की भावना को जगाने का प्रयास किया। उनके अनुसार ''बालिकाओं का पालन–पोशण तथा ि ाक्षा बालकों के समान होना चाहिए।''

पंचवर्शीय योजनाओं के लागू होने के बाद महिला–ि ाक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास हुए है। राश्ट्रीय ि ाक्षा नीति– 1986 में महिलाओं के लिए भौक्षिक अवसरो ं की समानता के साथ–साथ ि ाक्षा के माध्यम से महिला स ाक्तिकरण का मुद्दा भी जोर– ाोर से उठाया गया। भारत में स्त्री ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1948–49 में डॉ0 राधाकृश्णन आयोग का गठन किया गया। इसके सुझावों में कहा गया कि कॉलेजों में लड़कियों को समान सुविधाएं दी जाएं। महिला और पुरूश अध्यापकों को समान वेतन मिले। महिलाओं में आत्मविवास पैदा करने के लिए कॉलेज स्तर पर सहि ाक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिसके फलस्वरूप महिला कॉलेजों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। 1952 में गठित माध्यमिक ि ाक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर स्त्री और पुरूशों की ि ाक्षा की समानता पर बल दिया। ि ाक्षा में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिये जाए। सभी राज्यों में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के साथ सहि ाक्षा संस्थानों में महिला ि ाक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए और विद्यालय में लड़कियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। 1964 में गठित कोठारी आयोग ने स्त्री ि ाक्षा को पुरूशों की ि ाक्षा से अधिक महत्वपूर्ण बताया। आयोग ने सुझाव दिया कि स्त्रियों को ि ाक्षित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उनकी ि ाक्षा के लिए पर्याप्त धन जुटाया जाए। उनके प्रि ाक्षण और रोजगार की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। ि ाक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाए, इनके आवास का प्रबं ध किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा ाली बालिकाओं को ि ाक्षित होने एवं प्रि ाक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए ताकि वे अपनी ि ाक्षा को जारी रखते हुए अपने कौ ालों का अधिकतम विकास कर सकें।

राश्ट्रीय ि ाक्षा नीति के चौथे भाग में महिलाओं की ि ाक्षा और उनके विकास के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बातें कही गईं हैं जैसे कि ि ाक्षा संस्थानों को महिला विकास से सम्बन्धित सक्रिय कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया जाए। महिला निरक्षरता को समाप्त करने के मार्ग में किये जाने वाले प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं पर किये गये विभिन्न अध्ययनों को पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया जए। नई तकनीक का प्रि ाक्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। नौवीं पंचवर्शीय योजना में स्त्री ि ाक्षा अध्याय का भीर्शक ''समानता के लिए स्त्रियों की ि ाक्षा '' रखा गया जिसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा के लिए समान अवसरों की आव यकता पर ध्यान के न्द्रित करना था।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

प्राचीनकाल/बौद्धकाल में स्त्री ि ाक्षा की स्थिति :–

प्राचीन भारत में पुत्र और पुत्रियों के लिए समान रूप से ि ाक्षा की व्यवस्था करना माता–पिता का कर्त्तव्य था। वैदिक काल में स्त्रियाँ कृशि कार्य के साथ–साथ अस्त्र निर्माण भी करती थीं। अपने पतियों के साथ युद्ध में भाग लेती और उन्हें पुराणों व वेदों का अध्ययन करने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। उस समय की विदु ाी नारियों में गार्गी, मैत्रेणी, इन्द्राणी, लोपामुद्रा, सर्प राज्ञी आदि का नाम प्रमु खता से लिया जाता है। घर की देखभाल करने के लिए आवश्यक सभी उपयो गी कलाओं जैसे–कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पाककला, नृत्य, संगीत, चित्रकारी पेंटिग, प ाुपालन आदि को स्त्रियों की ि ाक्षा में वि ोश स्थान दिया गया था। वैदिक कालीन स्त्री ि ाक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, क्योंकि घरेलू विशयों की ि ाक्षा के साथ–साथ वेद, वे दांग, उपनिशद एवं मीमांसा आदि क्षेत्रों की भी ि ाक्षा समान रूप से दी जाती थी। द र्ान के प्रचार–प्रसार में उपनिशद काल में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैत्रेयी द र्ान की समस्याओं को सुलझाने में प्रयासरत रहती थी। गार्गी उच्चकोटि की दार्शनिक थी जो भाास्त्रों का अध्ययन करने में रूचि रखती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति की रचना के बाद स्त्रियों को कई नियमों में बाँध दिया गया और वेदों के अध्ययन का अधिकार उनसे छीन लिया गया क्योंकि मनु के अनुसार स्त्रियाँ इस अध्ययन के लिए अयोग्य घोशित कर दी गई। स्त्रियों के लिए वे दों की ि ाक्षा की तुलना में संगीत, चित्रकला, नृत्य एवं अन्य ललित कलाओं को सीखने को महत्वपूर्ण माना जाना लगा। मनु ने स्त्रियों की स्वतन्त्र अभिरूचि को प्रतिबंधित करके दमित करने का कुचक्र रचा था। विवाह की आयु कम करने के कारण वे ि ाक्षा से वंचित होती चली गयी। और अपने अधिकारों की जागरूकता से भी दूर हो गई।

बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में स्त्री–पुरूश की समानता पर बल दिया गया। इन्होंने स्त्री ि ाक्षा का पूर्ण समर्थन किया। स्त्रियों को भी ि ाक्षा प्राप्ति का समान अधिकार दिया गया था। ये धर्म तथा द र्ान के मनन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। कुछ भिक्षुणियों ने ि ाक्षा एवं साहित्य के प्रचार के लिए सुदूर क्षेत्रों की यात्राएं भी की। संघमित्रा को महान ि ाक्षिका के रूप ख्याति प्राप्त थी। अतः स्पश्ट है कि प्राचीन काल में ि ाक्षा की स्थिति स्त्रियों के सन्दर्भ में काफी सं तो ाजनक थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसके भौक्षिक अधिकारों का हनन किया गया।

मध्यकाल मुगल काल में स्त्री ि ाक्षा की स्थिति–

प्रारम्भिक काल में स्त्रियो ं के लिए ि ाक्षा की कोई वि ोश व्यवस्था नहीं थी। छोटी आयु की बालिकाएं प्राथमिक ि ाक्षा मकतबों में ग्रहण करती थी। उच्च शिक्षा की व्यवस्था संस्थाओं के रूप

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

में नहीं थी बल्कि निजी घरों में धार्मिक ि ाक्षा के साथ–साथ गुलिस्ताँ और सदाचार की पुस्तकें अधिक आयु की महिलाएं जो सम्बन्धित ज्ञान रखती थीं, पढ़ाती थीं। अतः ि ाक्षा व्यक्तिगत रूप से स्त्रियो ं को उच्च स्तर पर दी जाती थी। प्रथम भाासक जिसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया, गियासु द्दीन तुगलक था। उसने सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए एक मदरसे की स्थापना की जहाँ सभी को अपनी अभिरूचि के अनुसार ि ाक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता थी। उनकी ि ाक्षा का भार अभिभावकों को वहन करना हो ता था इसलिए सम्पन्न व्यक्ति ही अपनी बालिकाओं को ि ाक्षा दिला पाते थे। अकबर ने इस्लाम के अन्तर्गत स्त्री ि ाक्षा को पुरूशों के समान महत्व देते हुए स्त्री ि ाक्षा को बढ़ावा दिया। अकबर के समय राजघरानें में स्त्रियों के लिए नियमित ि ाक्षा का प्रावधान किया गया था। ि ाक्षित महिलाओं में रजिया, चाँदबीबी, गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्ताना, नूरजहाँ, जेल–उन–निसा आदि ने उच्च ि ाक्षा और कौ ालों में निपुणता प्राप्त की थी। अतः स्पश्ट है कि मुस्लिम काल में स्त्रियों की ि ाक्षा को प्रोत्साहित किया गया और मुस्लिम बालिकाएं इतनी उपेक्षित नहीं रहीं जितनी की वर्तमान में स्थिति बनी हुई है लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अि ाक्षित स्त्रियों की संख्या सामान्य तौर पर अधिक थी। अतः स्त्रियो ं की ि ाक्षा में समस्याएं पहले भी विद्मान थीं और वर्तमान भारत में भी है।

ब्रिटि ा कालीन स्त्री ि ाक्षा की स्थिति–

सन् 1800 ई0 के प्रारम्भिक काल में स्त्रियों की ि ाक्षा की स्थिति चिंताजनक और दयनीय थी। बालिकाएं ि ाक्षा से पूर्णतः वंचित थीं। सन् 1850 के आस–पास बालिका ि ाक्षा की ओर सरकार ने ध्यान देना प्रारम्भ किया। राजाराम मोहनराय और ईवरचन्द्र विद्यासागर ने बालिका ि ाक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किये। इन्होने अंग्रेजों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को खुला सहयोग दिया। लार्ड डलहौजी के सहयोग के पश्चात् ईसाई मि ानरियों ने भी स्त्री–ि ाक्षा के महत्व को समझा लेकिन उनका उद्देश्य अंग्रेजी ि ाक्षा का प्रसार करना था। ब्रिटि ाकाल में स्त्री–ि ाक्षा के विकास के लिए कई कार्यक्रमों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन का उतार–चढ़ाव चलता रहा। सन् 1854 में कई संश्स्थानों ने बालिका–ि ाक्षा को खुलकर अनुदान दिया। महिला समाज सुधारक मैरी कारपेंटर ने अपने प्रयासों से पहला प्रि ाक्षण महाविद्यालय खोला। सन् 1882 तक बालिकाओं के लिए 2600 प्राथमिक विद्यालय, 81 सैकेण्डरी स्कूल, 15 ि ाक्षण संस्थाएं और एक महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। सन् 1882–83 में इंडियन एजुके ान कमी ान की स्थापना की गई जिसे हंटर कमी ान कहा गया जिसका गठन प्राथमिक ि ाक्षा के विकास की जानकारी लेने, इसका विस्तार करने और सुधार के लिए सुझाव

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

देने के लिए किया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि पब्लिक फण्ड का अधिकां ा भाग नारी ि ाक्षा में लगाना चाहिए। ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने कहा कि सरकार को प्राईवेट कन्या स्कूलों को स्वतन्त्र अनुदान तथा महिला ि ाक्षकों को भी अनुदान देना होगा। कन्या प्राथमिक विद्यालयों में सरल पाठ्यक्रम लागू किया जाए व महिलाओं के लिए अलग से विद्यालय व महाविद्यालय खोले जाए, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर महिला ि ाक्षा को बढ़ावा मिलेगा। महिला शिक्षा के बढावा देने के लिए कई विद्यालय,महाविद्यालय व प्र ि ाक्षण संस्थाएं खोली गई। सन् 1916 में पहला महिला मेडिकल कॉलेज खोला गया। इसी वर्शमुंबई में महिला विवविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में श्रीमती एनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना हुई जिसका उद्देश्त्रय नारी ि ाक्षा का प्रसार करना था। सन् 1922 के बाद लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ ने से उन्हें ि ाक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने लगे जिससे नारी–ि ाक्षा को बढ़ावा मिला और स्त्री–ि ाक्षा में प्रगति हुई।1964–47 के आस–पास उच्च ि ाक्षा में भी बालिकाओं के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई । इस दौर में स्त्री–ि ाक्षा में सर्वा ंगीण प्रगति हुई ।

स्वतन्त्रता के बाद से अब तक की स्त्री ि ाक्षा की स्थितिः–

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अर्थात 1947 के बाद भारतीय संविधान में सभी को ि ाक्षा का समान अधिकार दिया गया। पंचवर्शीय योजनाएं स्त्रियों की ि ाक्षा में एक उपकरण के रूप में क्रियान्वित की गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री–ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और आयोगों के सुझाव और उनका क्रियान्वयन इस प्र कार है–

(a) पाँचवी पंचवर्शीय योजना में स्त्री–ि ाक्षा के लिए चलाए गये कार्यक्रम -

(b) ि ाक्षिकाओं की अपर्याप्तता की समस्या सुलझाना – स्थानीय बालिकाओं को अपनी ि ाक्षा तथा ि ाक्षण–प्र ि ाक्षण पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था एवं कम पढ़ी–लिखी बालिकाओं के लिए संयुक्त कोर्स आयोजित करने का कार्य, बालिका शिक्षा समस्या को सुलझाने के लिए किया गया।

(c) तेजी से कार्या न्वयन करना – बालिका ि ाक्षा से सम्बन्धित वि ि ाश्ट कार्यक्रमों को आयोजित कर एवं उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य तेजी से किया गया।

(d) पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करना – बालिका–ि ाक्षा में उनकी सामान्य एवं वि ोश आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्क्रम के नवीनीककरण का कार्य भी किया गया।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

(d) नामांकन का लक्ष्य – प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन का लक्ष्य 318. 9 लाख, मिडिल स्कूलो ं में 72.5 लाख एवं सैकेण्डरी स्कूलों (VI-VIII) में 31.7 लाख रखा गया।

(B) स्त्री–ि ाक्षा से सम्बन्धित मुख्य सुझाव –

(a) विश्वद्यालय ि ाक्षा आयोग के सुझाव (1948–49) –

- कॉलेज में लड़कियों के लिए जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- लड़कियों और लड़कों की ि ाक्षा में कुछ समान तत्व होते है लेकिन पूर्ण रूप से एक समान नहीं समझना चाहिए।
- लड़कियों के ि ाक्षा सम्बन्धी अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है अतः उनमें वृद्धि की जानी चाहिए।
- लड़कियों को गृह–अर्थ ाास्त्र और गृह–प्रबन्ध के अध्ययन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- लड़कियों के लिए बुद्धिपूर्ण भौक्षिक–निर्दे ान की व्यवस्था प्रि ाक्षित व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को अपनी रूचियों का पूर्ण ज्ञान हो ओर वे अपनी रूचियों के अनुसार विशयों को चयन सरलता से कर सके ं।
- ि ाक्षिकाओं को ि ाक्षकों के समान वेतन दिया जाना चाहिए।
- ऐसे कॉलेज जिनमें लड़के और लड़कियाँ एक साथ अध्ययन कर रहे हैं उनमें भी लड़कियों की आव यकताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए।

(b) राष्ट्रीय स्त्री–ि ाक्षा समिति के सुझाव (1958)–

इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई दे ामुख थी। इसका उद्श्देश्य नारी–ि ाक्षा का परीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसकी रिपोर्ट सन् 1959 में पे ा की गई। इसके द्वारा दिये गये सुझाव–

- स्त्री और पुरूशों की ि ाक्षा में बनी हुई खाई को यथा ीघ्र समाप्त करना चाहिए।
- बालिका ि ाक्षा के लिए प्रान्तीय सरकारें नारी–ि ाक्षा परिशदों की स्थापना आवश्यक रूप से करें।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

- योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाओं के लिए नारी भाक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाकर उनकी ि ाक्षा के लिए योजना का निर्माण करना चाहिए।
- सरकार को बालिका ि ाक्षा की उन्नति के लिए राष्ट्रीय नारी–परिषद की स्थापना करनी चाहिए।
- बालिका ि ाक्षा के लिए अर्द्ध सरकारी संगठनों, ऐच्छिक संगठनों, स्थानीय संस्थाओं, अध्यापक संगठनों तथा जनता सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रयोग ाला, छात्रावास, पुस्तकालय आदि की स्थापना करने वाले ऐच्छिक संगठनों को पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ नारियों के लिए भुरू किये गये पाठयक्रमों को स ाक्त बनाया जाना चाहिए।
- नारी–ि ाक्षा के प्रचार के लिए फिल्मों का निर्माण और उनका प्रद ान बड़े स्तर किया जाए ताकि नारी–ि ाक्षा प्रचार कार्यक्रमों को स ाक्त बनाया जा सके।
- बालिका–ि ाक्षा में चल रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- ि ाक्षा के स्कूली स्तर पर लड़कियों को अधिक से अधिक छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए तथा ि ाक्षा को उनके लिए निः ुल्क किया जाना चाहिए।
- जिन क्षेत्रों में लड़कियों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सह–ि ाक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- जिन बालिकाओं की ि ाक्षा बीच में छूट गई है और वे कई पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से विद्यालयों में नहीं जा सकती हैं, उनके लिए सुविधानुसार निरन्तर कक्षाओं का प्रबन्ध होना चाहिए।

(c) राश्ट्रीय स्त्री–ि ाक्षा परिशद – परिशद के अध्यक्ष एस.एस.मुकर्जी ने अपनी पुस्तक ''एजुके ान इन इंडिया–टुडे एंड टूमोरो'' में निम्न सुझाव दिये हैं–

- स्त्री–ि ाक्षा के सम्बन्ध में जनता को सु ाक्षित करने के उपाय करना।
- स्त्री–ि ाक्षा में सुधार, विस्तार सम्बन्धी नीतियों, लक्ष्यों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का सुझाव।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

- स्त्री–ि ाक्षा में समय–समय पर प्राप्त की गई उपलब्धियों का मूल्यां कन करना और उनके कार्या न्वयन की प्रगति की देखभाल की जाए।
- स्त्री–ि ाक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के समस्त आँकड़े एकत्र करने, सर्वेक्षण कार्यो तथा अनुसंधान–प्रोजेक्टों के सुझाव तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार सेमिनार आयोजित करने के सुझाव दिये गये।

(d) श्रीमती हंसा मेहता समिति के स्त्री ि ाक्षा पर सुझाव (1962) –

- प्राथमिक स्तर पर सह–ि ाक्षा की व्यवस्था सामान्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन लड़कियों की संख्या जहाँ अधिक हो वहाँ के लोगों की माँग पर अलग से प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने चाहिए।
- सैकेन्ण्डरी एवं कॉलेज स्तरों पर अभिभावकों एवं प्रबन्धकों को बालिकाओं के लिए अलग से सं स्थाएं खोलने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
- यदि लड़कों के कॉलेजों में लड़कियों का प्रवे ा कराना है तो ि ाक्षिकाओं की नियुक्ति इन कॉलेजों में आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।
- प्राइमरी स्तर में बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण नहीं होना चाहिए।
- प्राइमरी विद्यालयों में ि ाक्षिकाओं की संख्या के अनुपात को बढ़ाया जाए।
- लैंगिक आधार पर मिडिल स्तर पर पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं किया जाना चाहिए एवं सामान्य कोर्स में गृह–विज्ञान का कोर पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- मिडिल स्कूल के पश्चात् व्यावसायिक तैयारी के विशिष्ट कोर्स प्रारम्भ किये जाए।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सभी मिडिल स्कूलों में ि ाल्प–निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- सभी मिडिल स्कूलों में आवश्यक रूप से मिश्रित स्टॉफ की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- मिडिल स्तर पर जरूरतमन्द एवं योग्य लड़कियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए और घर से विद्यालय की अधिक दूरी होने पर उनके लिए परिवहन का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- मिडिल स्तर पर लड़कियों के लिए आवश्यकतानुसार पृथक विद्यालय खोले जाने चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग सुझाव (2001)–

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

- महिलाओं का भौक्षिक विकास स्त्री–पुरूश के बीच अन्तर को दि ाा देने वाला और सन्तुलन बनाने वाला होना चाहिए। इसके लिए सरकार को उन कारकों पर कार्य करने की आवश्यकता है जो असन्तुलन उत्पन्न करते है।
- जहाँ भी बालिकाओं के लिए पृथक भौक्षिक संस्थाएं खोली जाती हैं वहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक स्टॉफ सुविधाओं, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं/गतिविधियों की गुणवत्ता के मामले में अपेक्षित स्तर बनाये रखा जाए। (महिला आयोग, 2001)।

विश्व की गरीब आबादी में महिलाओं की संख्या और प्रति ात आज भी चिन्तनीय स्तर से अधिक है। दक्षिण ए ियाई क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति विकसित दे ाों की तुलना में बहुत खराब है। यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान के अनुसार दक्षिण पूर्वी ए ियाई क्षेत्र में स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या 2 करोड़ 80 लाख है इसमें 45 प्रति ात लड़कियाँ भारत की हैं। इन बालिकाओं की आयु तो विद्यालय जाने की है। लेकिन ये प्राथमिक ि ाक्षा से वंचित हैं। जो लड़कियाँ प्राथमिक विद्यालय में प्रवे ा लेती हैं, उनमें से 50 प्रति ात किसी न किसी कारण से कक्षा 5 तक पहुँचने से पहले ही विद्यालय छोड़ देती हैं। एक लड़की को यदि ि ाक्षा से वंचित रखा जाता है तो उसकी कीमत अकेले उस लड़ की को नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और उसके दे ा को भी चुकानी पड़ती है। (पाठक 2014)

निष्कर्श

भाोधार्थी ने शोध–क्षेत्र के सर्वेक्षण में पाया कि शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं को अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं विद्यालयी जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें क्रमशः परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षण संस्थानों (विद्यालयी समस्याएं) से सम्बन्धित समस्याओं और परिवार में प्रचलित रीति–रिवाजों के कारण बालिका शिक्षा सबसे अधिक बाधित होती है। इसी प्रकार महिलाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में भी आवासीय स्थिति धर्म, जाति, पारिवारिक संरचना, अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति और उनकी आय के स्तर के अनुसार अध्ययनरत् एवं अध्ययनबाधित महिलाओं के मध्य भिन्नता पायी गई है। महिलाओं को अपनी शिक्षा में प्राप्त होने वाली सामाजिक अभिप्रेरणा में भी उक्त महिला समूह के मध्य बहुत अधिक अन्तर देखा गया है। अतः प्रस्तुत शोध महिलाओं की भौक्षिक स्थिति को सुधारने एवं उन्हें शिक्षा की ओर आकर्शित करने के साथ–साथ

अभिभावकों, विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों, शैक्षिक नीति–निर्माणकर्ताओं, शैक्षिक प्रशासकों, सामाजिक विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, शिक्षा विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, शैक्षिक परामर्शदाता एवं शैक्षिक सलाहकारों, विभिन्न राजनीतिक दलों, आदि को उचित मार्गदर्शन देने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. यादव, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह : नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण, अवधारणा चिन्तन एवं सरोकर, आयोगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. इण्टरनेशनल, ब्यूरो ऑफ एजूकेशन, (1996) द आर्गनाइजेशन ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, यूनेस्को, पेरिस, पब्लिकेशन नम्बर–288, पृ0
3. बर्न्स, रोबर्ट, बी0 (2000) इन्ट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स'' (सेग पब्लिकेशन्स, लन्दन) पृ0 55
4. बर्न्स, रोबर्ट, बी0 (2000) इन्ट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स'' (सेग पब्लिकेशन्स, लन्दन) पृ0 55
5. बर्न्स, रोबर्ट, बी0 (2000) इन्ट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स'' (सेग पब्लिकेशन्स, लन्दन) पृ0 55
6. कपिल एच0के0 (2006) अनुसंधान विधियाँ, आगरा, एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, पृ0 19
7. कपिल एच0के0 (2006) अनुसंधान विधियाँ, आगरा, एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, पृ0 19
8. कपिल एच0के0 (2004) अनुसंधान विधियाँ, आगरा, पृ0 37
9. करलिंगर एफ0एन0, (1964) फाउन्डेशन ऑफ विहेविरियल रिसर्च, न्यूयार्क : होल्ट, रेनहर्ट एण्ड विल्सन, पृ0 13
10. मालाबिका कार्लेकर द्वारा लिखित निबंध ''महिला की प्रकृति और शिक्षा तक पहुंच'' (2018) Indian Journal of Psychometry and Education. Vol. 40(2) : pp. 45-47
11. शिक्षा चिन्तन, शैक्षिक त्रौमासिक शोध पत्रिका, वर्ष–10, अंक–39, पृ0 26 एम0आई0एस0बी0, सी–73, सेक्टर 63, नोएडा–201301